न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्याः– 35 / 2023 तारीख रजू 28.11.2023

सरकार जरिये तहसीलदार मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर।

..........प्रार्थी

बनाम

1. कान्जी पुत्र गंगासहाय कोली निवासी बहतेड तहसील मलारना डूंगर
2. इरशाद पुत्र अशफाक खान मुसलमान निवासी बहतेड तहसील मलारना डूंगर
3. रईस बेग पुत्र जिलानी बेग मुसलमान निवासी बहतेड तहसील मलारना डूंगर

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित –	पेरोकार सरकार	– प्रार्थी की ओर से
	श्री कमलेश जैन एडवोकेट	– अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की ओर से

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णयः– **दिनांक 16.07.2025**

तहसीलदार मलारना डूंगर ने यह प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार कान्जी पुत्र गंगासहाय कोली निवासी ग्राम बहतेड की खातेदारी में दर्ज आराजी ख0नं0 3621/3615 रकबा 0.1043 है. किस्म आवासीय इकाई प्रयोजनार्थ गै.मु.आबादी का दिनांक 14.02.2023 को इरशाद खान पुत्र अशफाक खान व रईस बेग पुत्र जिलानी बेग निवासी बहतेड को बेचान होने पर नामान्तकरण सं0 803 दिनांक 03.07.2023 द्वारा इरशाद खान पुत्र अशफाक खान व रईस बेग पुत्र जिलानी बेग निवासी बहतेड के पक्ष में दर्ज कर सरपंच ग्राम पंचायत बहतेड के द्वारा उक्त नामान्तकरण दिनांक 24.07.2023 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तकरण संख्या 803 स्वीकृत दिनांक 24.07.2023 स्वीकृत होने के उपरान्त तहसीलदार मलारना डूंगर को राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक प.6(6)राज.6/92/पार्ट/8 दिनांक 16.08.2012 व राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक 356 दिनांक 06.02.2023 की जानकारी प्राप्त हुई है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय (भू.अ.) सवाई माधोपुर से उक्त नामान्तकरण संख्या 803 दिनांक 24.07.2023 के संबंध में मार्गदर्शन चाहे जाने पर उनके पत्रांक प.14/7/1/नामां./भू.अ./रि./2022/5454 दिनांक 27.10.2023 के द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक प.6(6)राज.6/92/पार्ट/8 दिनांक 16.08.2012 व राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के पत्रांक 356 दिनांक 06.02.2023 के अनुसार पालना किया जाना [illegible] करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया। उक्त नामान्तकरण संख्या 803 [illegible] (ग्रुप–6) विभाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:22:22 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

File No

(51)

राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक प.6(6)राज.6/92/पार्ट/8 दिनांक 16.08.2012 व राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक 356 दिनांक 06.02.2023 के विपरीत होने के कारण तहसीलदार मलारना डूंगर ने रेफरेन्स प्रकरण बनाकर ग्राम बहतेड का नामां. रां. 803 दिनांक 24.07.2023 को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए। प्रकरण में मूल नामांतकरण प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बहतेड के आराजी ख0नं0 3621/3615 रकबा 0.1043 है. किस्म आवासीय इकाई प्रयोजनार्थ गै.मु.आबादी कान्जी पुत्र गंगासहाय कोली सा.देह के नाम खातेदारी दर्ज है। ग्राम बहतेड का उक्त ख0नं0 3621/3615 रकबा 0.1043 है. किस्म आवासीय इकाई प्रयोजनार्थ गै.मु. आबादी के खातेदार कान्जी पुत्र गंगासहाय कोली ने दिनांक 14.02.2023 को इरशाद खान पुत्र अशफाक खान व रईस बेग पुत्र जिलानी बेग निवासी बहतेड को बेचान कर दिया गया है। दिनांक 14.02.2023 को विक्रयशुदा भूमि ख0नं0 3621/3615 रकबा 0.1043 है. का नामान्तकरण सं0 803 दिनांक 03.07.2023 केता पक्ष इरशाद पुत्र अशफाक खान, रईस बेग पुत्र जिलानी बेग निवासी बहतेड के पक्ष में दर्ज कर सरपंच ग्राम पंचायत बहतेड के द्वारा उक्त नामान्तकरण दिनांक 24.07.2023 को स्वीकृत किया जा चुका है। उक्त नामान्तकरण संख्या 803 स्वीकृत दिनांक 24.07.2023 स्वीकृत होने के उपरान्त भू.अभि. निरीक्षक मलारना डूंगर व पटवारी हल्का बहतेड ने रिपोर्ट कर अवगत कराया कि उक्त प्रकार की भूमि के संबंध में राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के संदर्भ में जारी परिपत्र प.6(6)राज.6/92/पार्ट/8 दिनांक 16.08.2012 से मार्गदर्शन दिया गया है कि कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होने के पश्चात भूमि खातेदारी में से कम किये जाने का प्रावधान है। नामान्तकरण का कार्यक्षेत्र केवल खातेदारी भूमि तक ही है। अतः विक्रय, दान, वसीयत, बख्शीश, उत्तराधिकार द्वारा रूपान्तरित भूमि का हस्तान्तरण होने पर नामान्तकरण दर्ज नहीं किया जावेगा तथा उक्त संबंध में प्रभारी अधिकारी DILRMP राजस्व मण्डल, अजमेर की तरफ से क्रमांक BR/LR/NLRMP/F-126/2022/356 दिनांक 06.02.2023 जारी किया हुआ है। नामांतकरण संख्या 803 दिनांक 24.07.2023 को स्वीकृत होने के उपरान्त उक्त परिपत्रों की जानकारी प्राप्त हुई है। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का बहतेड से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसील कार्यालय के पत्रांक/भू.अ./2423 दिनांक 25.08.2023 से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय (भू.अ.) सवाई माधोपुर से उक्त नामान्तकरण संख्या 803 दिनांक 24.07.2023 के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया। जिसके संदर्भ में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय (भू.अ.) सवाई माधोपुर ने उनके पत्रांक प.14/7/1/नामां./भू.अ./रि./2022/5454 दिनांक 27.10.2023 से मार्गदर्शन प्रदान किया कि राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरका[illegible] क्रमांक प.6(6)राज.6/92/पार्ट/8 दिनांक 16.08.2012 व राजस्व मंडल [illegible] 356 दिनांक 06.02.2023 के अनुसार पालना किया जाना सुनिश्चित [illegible] नामान्तकरण संख्या 803

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:22:22 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

दिनांक 24.07.2023 राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(6)राज. 6/92/पार्ट/8 दिनांक 16.08.2012 व राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक 356 दिनांक 06.02.2023 के विपरीत है। अतः ग्राम बहतेड का नामां. सं. 803 दिनांक 24.07.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थीगण ने लिखित बहस पेश कर अवगत कराया कि आराजी ख0नं0 3621/3615 रकबा 0.1043 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल की आराजी कानजी पुत्र गंगासहाय के खातेदारी की आरजीयात की उपरोक्त आराजीयात को खातेदार कान्जी द्वारा गै0मु0आबादी में कनवर्ट करवाई गई। ख0नं0 3621/3615 रकबा 0.1043 है0 गै0मु0आबादी को इरशाद खां व रईस बेग को गै0मु0 आबादी की जमीन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा तैयार कर दी गई। जिसका नामान्तकरण संख्या 803 दिनांक 03.07.2023 जो तस्दीक कर दिया गया। तस्दीक करने के बाद तहसीलदार तहसील मलारना डूंगर द्वारा दिनांक 16.08.2012 को मार्गदर्शन दिया गया कि कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होने के पश्चात भूमि खातेदारी में से कम दिये जाने का प्रावधान है। जबकि अप्रार्थी इरशाद व रईस बेग ने जो गै0मु0आबादी की सम्पूर्ण भूमि का ही क्षेत्रफल खरीदा था। तहसीलदार तहसील मलारना डूंगर द्वारा अपना पत्र दिनांक 25.08.2023 के माध्यम से भी मार्गदर्शन चाहा गया है। उसके बावजूद भी तहसीलदार तहसील मलारना डूंगर द्वारा यह रेफरेन्स बदायती पूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया चूंकि नामान्तकरण में कोई गलती हो तो उसे स्वयं तहसीलदार द्वारा ही शुद्धिकरण किया जा सकता है किन्तु तहसीलदार द्वारा शुद्धिकरण न करके व जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर का मार्गदर्शन नहीं मिलने के बावजूद भी यह रेफरेन्स पेश किया गया है जो रेफरेन्स चलने योग्य न होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही उक्त रेफरेन्स में नामान्तकरण निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार तहसील मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा मूल नामान्तकरण संख्या 803 दिनांक 24.07.2023 का अवलोकन करने के पश्चात यह प्रतीत होता है कि कान्जी पुत्र गंगासहाय कोली निवासी ग्राम बहतेड की खातेदारी में दर्ज आराजी ख0नं0 3621/3615 रकबा 0.1043 है. किस्म आवासीय इकाई प्रयोजनार्थ गै.मु.आबादी का दिनांक 14.02.2023 को इरशाद खान पुत्र अशफाक खान व रईस बेग पुत्र जिलानी बेग निवासी बहतेड को बेचान होने पर नामान्तकरण सं0 803 दिनांक 03.07.2023 द्वारा इरशाद खान पुत्र अशफाक खान व रईस बेग पुत्र जिलानी बेग निवासी बहतेड के पक्ष में दर्ज कर सरपंच ग्राम पंचायत बहतेड के द्वारा उक्त नामान्तकरण दिनांक 24.07.2023 को स्वीकृत किया गया। पटवारी हल्का बहतेड तथा भू अभिलेख निरीक्षक बहतेड द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(6)राज.6/92/पार्ट/8 दिनांक 16.08.2012 व राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के पत्रांक 356 दिनांक 06.02.2023 की जानकारी नहीं होने के कारण उक्त नामान्तकरण भरकर एवं जांचकर सरपंच ग्राम पंचायत बहतेड से तस्दीक करवाया है। जबकि उक्त प्रकार की भूमि के संबंध में राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के संदर्भ में [illegible] दिनांक 16.08.2012 से मार्गदर्शन दिया गया है कि कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:22:22 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पश्चात भूमि खातेदारी में से कम किये जाने का प्रावधान है। नामान्तकरण का कार्यक्षेत्र केवल खातेदारी भूमि तक ही है। तहसीलदार मलारना डूंगर को उक्त मार्गदर्शन के अनुसार ही कार्यवाही की जाना चाहिए थी। तहसीलदार मलारना डूंगर यदि उक्त नामान्तकरण को खारिज करवाना चाहते है तब भी उन्हें सरपंच द्वारा तस्दीक किये गये उक्त नामान्तकरण को खारिज करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जानी चाहिए थी। किन्तु तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेन्स प्रकरण बनाकर नामान्तकरण संख्या 803 दिनांक 24.07.2023 को निरस्त करने हेतु न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रकार उक्त नामान्तकरण संख्या 803 दिनांक 24.07.2023 को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होना पाया जाता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:22:22 IST
Reason: SelfAttested